न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/1450/2006/बीकानेर

1. पाबूराम
2. चूनाराम

पुत्रान भीखाराम, जाति विश्नोई, निवासी गोडू, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

........अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार।

.........रैस्पो0

खण्ड – पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–

श्री लूकरण पण्डया, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः –24.06.2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत विद्वान अति0 आयुक्त , उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 46/2003 शीर्षक पाबूराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22-02-2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विभिन्न 09 प्रकरणों में कलक्टर एवं उपायुक्त, उप निवेशन, बीकानेर ने रेफरेन्स इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, इंदिरा गॉधी नहर परियोजना, कोलायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में विभिन्न तारीखों को जो निर्णय व डिक्री प्रदान की हैं और उनमें गैर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, उन्हें निरस्त किया जाये। माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 31-5-1994 के द्वारा प्रकरणों को परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया। इस आदेश के आधार पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 31/99 शीर्षक पाबूराम बनाम सरकार दर्ज किया गया। वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष माननीय मण्डल के आदेशों की पालना में गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार मानकर वाद में सुनवाई करने के आशय का आवेदन दिनांक 21-9-2000 को प्रस्तुत किया। सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, प्रथम, इंदिरा गॉधी नहर परियोजना, बीकानेर ने परीक्षण उपरान्त दिनांक 7-3-2003 को निर्णय पारित कर संशोधित वादपत्र को खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अति0 आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 22-02-2006 से अपील को खारिज किया है। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल

के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4- उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

5- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी-वादी ने बहस में निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए वादपत्र को स्वीकार करते हुये सहायक आयुक्त द्वारा दिनांक 24-9-1985 को वादी के पक्ष में विधिवत रुप से 70 बीघा की डिक्री प्रदान की गई थी। रेफरेन्स होने पर, माननीय राजस्व मण्डल से प्रकरण रिमाण्ड हो कर आने पर इस निर्णय की पालना में प्रार्थी ने मूल वाद के साथ एक अतिरिक्त प्रार्थना पत्र धरा 15-एएए (3)(बी) का प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने सम्पूर्ण निर्णय इसी प्रार्थना पत्र पर पारित कर दिया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि कुल 184 बीघा भूमि खसरा नम्बर 407, 408, 410 की वादी के पिता भीखाराम की नाम गैर खातेदारी में थी और मौके पर पैमाइश नहीं कर भीखाराम के नाम खसरा नम्बर 240, 255, 859, 1483, 1609, 265, 281, 1482 में कुल 113 बीघा 13 बिस्वा भूमि अंकित कर दी गई जब कि शेष 19 बीघा कमाण्ड व 51 बीघा अनकमाण्ड भूमि कुल प्रश्नगत 70 बीघा भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त में सम्वत् 2012 से चली आ रही है किन्तु इसे गलत प्रकार से रकबा राज दर्ज किया गया है। उक्त भूमि पारिवारिक बॅटवारे में अपीलार्थी के हिस्से में आई है और सम्वत् 2017 की खसरा गिरदावरी में अपीलार्थी की काश्त दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग को भूमि कम या ज्यादा करने का अधिकार नहीं है और सम्वत् 2012 में जितनी भूमि दर्ज थी उतनी ही अंकित करनी चाहिए थी किन्तु गलत प्रकार से रकबा राज दर्ज कर दिया और सम्वत् 2024 के बाद का आराजी राज का रिकार्ड मानते हुये दावे को गलत प्रकार से खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने ये भी कथन किया कि एक अन्य प्रकरण में निर्णय के आधार पर इसी आराजी में से 34 बीघा भूमि नामांतरकरण संख्या 42 दिनांक 10.9.1992 के द्वारा पाबूराम, चूनाराम के नाम दर्ज किया गया है और बिना किसी आदेश से नामांतरकरण संख्या 46 से आराजी राज घोषित कर दिया गया है। अधिनियम, 1955 की धारा 19-एए के प्रावधानों के अनुसार सन् 1969 के पश्चात् भौतिक धारण व्यक्ति को गैर खातेदारी/खातेदारी प्रदान की जा सकती है, जब कि वादीगण का कब्जा सम्वत् 2012 से चला आ रहा है। धरा 15-एएए के प्रावधानों के अनुसार यदि काश्तकार का कोई रिकार्ड नहीं है तो ग्राम सभा का प्रस्ताव ले कर खातेदारी प्रदान की जा सकती है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी गलत प्रकार से परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट कर दिया है, अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाये और अपील के पैरा संख्या-9 में वर्णित कुल 70 बीघा भूमि का वादी को खातेदार/गैर खातेदार घोषित किया जाये।

6- रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य राजकीय उप अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 31-5-1994 के तहत दिनांक 2-8-1994 की पेशी अधीनस्थ न्यायालय में दी गई है किन्तु प्रार्थी ने असाधारण देरी से दिनांक 21-9-2000 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और देरी के कोई कारण भी अंकित नहीं किए हैं, अतः यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं रहा है। योग्य अधिवक्ता का बहस में ये भी कथन रहा है कि सम्वत् 2012 में वादी के पिता के नाम से 184 बीघा भूमि दर्ज थी और वास्तविक कब्जा काश्त की भूमि 113 बीघा 3 बिस्वा सम्वत् 2024 में उसके नाम दर्ज की गई। सैटलमैंट से पूर्व रकबा कच्चे बीघों में था जब कि भू प्रबन्ध के बाद पक्के बीघों में हुआ है। सैटलमैंट के दौरान पर्चा खतौनी भी वादी के पिता को दी गई थी किन्तु उनके द्वारा समय पर संशोधन की कार्यवाही नहीं की गई। वादीगण के पिता द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष वर्ष 1966 में जो खातेदारी हेतु उज्रदारी की गई थी उसमें विवादित आराजीयात शामिल नहीं थी, अतः स्पष्ट है कि वादीगण के पिता को प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि होने के बारे में पहले से ही जानकारी थी। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने विस्तार से विवेचन करते हुये निर्णय पारित किए हैं, अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन है, जिसे खारिज किया जाए।

7- हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन-अध्ययन किया।

8- पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि कलक्टर एवं उपायुक्त, उप निवेशन, बीकानेर ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष विभिन्न 09 प्रकरणों में रेफरेन्स इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि "सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, इंदिरा गॉधी नहर परियोजना, कोलायत द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में विभिन्न तारीखों को जो निर्णय व डिक्री प्रदान की हैं और उनमें गैर खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, उन्हें निरस्त किया जाये।" माननीय मण्डल के निर्णय दिनांक 31-5-1994 के अनुसार पाया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या-4 में अंकित किया गया है कि "अधिकांश दावों में ये वर्णन नहीं किया गया है कि ये दावे अंतर्गत धारा 15-एएए के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तत किए गए हैं" और इस प्रकार इन प्रकरणों को परीक्षण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया गया है कि अन्वीक्षा के न्यायालय में उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे, मण्डल के स्तर से ही आगामी पेशी दिनांक 2-8-1994 दी गई थी किन्तु अपीलार्थी द्वारा वादपत्र में गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार मानकर सुनवाई करने का आवेदन काफी देरीना दिनांक 21-9-2000 को प्रस्तुत किया गया है।

9- प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि समरी व गिरदावरी सम्वत् 2015-18 में रकबा 184 बीघा अंकित है और पुख्ता सैटलमैंट बन्दोबस्त सम्वत् 2024 में रकबा 113 बीघा 13 बिस्वा अंकित है। राज्य पक्ष द्वारा जो जबाब प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट किया है कि सैटलमैंट के दौरान वादीगण के पिता को वास्तविक कब्जा काश्त की भूमि उनके नाम दर्ज की गई। समरी सैटलमैंट सम्वत् 2012 में रकबा कच्चे बीघों में था जब कि सैटलमैंट में रकबा पक्के बीघों में था। इस प्रकार भीखाराम के खाते में भूमि समरी से कम दर्ज नहीं हुई है। भीखाराम द्वारा दिनांक 16-6-1994 को सैटलमैंट अधिकारी के समक्ष भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 122, 123, 125 के तहत खातेदारी अधिकारों हेतु उज्रदारी की गई थी, इससे स्पष्ट है कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी के राजकीय भूमि होने की स्पष्टतः जानकारी थी। मुताबिक सूची नम्बर 4 ग्राम गोडू प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1152, 1163, 296 का भाग है और मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2024 ग्राम गोडू खसरा नम्बर 1152, 1163 गै0मु0 धोरा तथा खसरा नम्बर 296 गै0मु0 गोवा है, अतः इस प्रकार की आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। प्रश्नगत भूमि पर सम्वत् 2012 से लगातार किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। धारा 15-एएए के तहत इंदिरा गॉधी नहर क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान हैं किन्तु वर्तमान प्रकरण में वादी का रकबा भू प्रबन्ध से पूर्व कच्चे बीघा में रकबा 184 और भू प्रबन्ध के बाद पक्के बीघा में होने से रकबा 113 बीघा 13 बिस्वा हुआ है और राज्य पक्ष ने भी अपने जबाब में अंकित किया है कि वास्तव में वादी का रकबा पहले से कम नहीं हुआ है, वास्तविक कब्जा काश्त की भूमि रकबा 113 बीघा 13 बिस्वा ही उसके खाते में दर्ज की गई है। अतः इस प्रकार की स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को विस्तार से विवेचित करते हुये जो अभिमत पारित किया है वह उपयुक्त प्रतीत होता है। तनकी संख्या-2 में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण द्वारा सैटलमैंट में उज्रदारी कर अपने पिता की धारणा की भूमि चाही थी, जिसमें वादाधीन विवादित भूमि नहीं है, अतः विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं है। इसी प्रकार से तनकी संख्या-3 में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय से स्पष्ट अंकित किया है कि सम्वत् 2012 से वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। सहायक आयुक्त, कोलायत के आदेश दिनांक 24-9-1985 से गैर खातेदारी जो वादीगण के पक्ष में दर्ज की गई है उसे राजस्व मण्डल द्वारा खारिज किया गया है। तनकी संख्या-4 में परीक्षण न्यायालय ने रिकार्ड के अवलोकन उपरान्त माना है कि समरी में भूमि अन्दाजिया कच्चे बीघा में दर्ज होती थी तथा पुख्ता सैटलमैंट में मौके पर पैमाइश कर ही अंकन किया गया है। इसी प्रकार से तनकी संख्या-5 में प्रश्नगत भूमि को राजकीय गै0मु0 भूमि होना मानते हुये खातेदारी योग्य भूमि नहीं माना है। तनकी संख्या 6 को भी उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधिसम्मत तरीके से निर्णित किया गया है।

9. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों व रिकार्ड के आधार पर वादी के वाद को निर्णित किया है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15-एएए के प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण को प्रश्नगत 70 बीघा भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु योग्य नहीं माना गया है। हमारे मतानुसार भी धारा 15-एएए के प्रावधानों के अन्तर्गत वादीगण गै0मु0 राजकीय भूमि पर खातेदारी घोषणा का पात्र साबित नहीं होता है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवेचन उपरान्त परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया गया है। अतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित करते हुये जो मत दिया है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। फलतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य